(3)

आदेश दिनांक 6-8-19 पारित द्वारा श्री इकबाल सिंह बैंस अध्यक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक विविध-0749/2019/ग्वालियर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 15-4-19 पारित द्वारा आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 215/अपील/18-19 (पूनर्विलोकन की अनुमति प्रकरण क्रमांक 05/पुनर्विलोकन/2019-20 दिनांक 24-6-19 बाबत)

मध्यप्रदेश शासन .....आवेदक

विरूद्ध

सतीशचन्द्र मिश्रा पुत्र हरीसेवक मिश्रा
निवासी- 33 प्रेमनगर ग्वालियर
जिला ग्वालियर (म.प्र.)
एवं अन्य .....अनावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(1)

प्रकरण क्रमांक विविध 0749/2019/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-8-2019	आवेदक शासन की ओर से श्री राजेन्द्र जैन अभिभाषक उपस्थित । न्यायालय आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 005/पुनर्विलोकन/2019-20 दिनांक 24 जून, 2019 द्वारा यह सूचित किया गया है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(1) की कंडिका 18(दो) में कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध आयुक्त को सुनवाई के अधिकार प्राप्त हैं । इन प्रावधानों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि कलेक्टर के आदेश से असंतुष्ट होने पर किसी व्यक्ति का द्वितीय अभ्यावेदन करने का अधिकार समाप्त होता हो और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत भी प्रतीत होता है । बल्कि उक्त कंडिका में किसी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध किसी अधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की समयावधि भी नियत नहीं की गई है । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आयुक्त, ग्वालियर ने दिनांक 15-4-2019 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है :- "राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 क्रमांक 1 की कंडिका 18(एक) के तहत नजूल अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को सुनने की अधिकारिता है । कंडिका 18(दो) के प्रावधान अनुसार कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध सुनने की अधिकारिता आयुक्त को है । इस प्रकार इस प्रकरण में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रथमतः नजूल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का विचारण किया गया है और उसके क्रम में अपर कलेक्टर द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण किया गया है । अतः उक्त प्रावधानानुसार द्वितीय अभ्यावेदन विचारण की अधिकारिता समाप्त होने से अभ्यावेदन अभ्यावेदन अग्राह्य किया जाता है ।" राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(एक) की कंडिका 18(दो) में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रावधान निम्नानुसार हैं:- **कंडिका 18, अभ्यावेदन**--राज्य शासन के अधीनस्थ अधिकारी	

विविध-0749/2019/ग्वालियर/भू.रा.

(2)

प्र.क्र./00
प्रति.

न तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश

द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध नीचे दिये गये तरीके से अभ्यावेदन या आवेदन किया जा सकेगा-

(एक) कलेक्टर अधिकारी या नजूल अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध कलेक्टर को ।

(दो) कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध आयुक्त को ।

(तीन) आयुक्त द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध राज्य शासन को ।

कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी या नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में स्वप्रेरणा से परिवर्तन कर सकेगा और आयुक्त, कलेक्टर द्वारा पारित किसी भी आदेश में परिवर्तन कर सकेगा निश्चय ही, राज्य शासन भी इस परिपत्र के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में परिवर्तन कर सकता है ।

राजस्व पुस्तक परिपत्र के उक्त प्रावधान से स्वत: स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन को होगी । ऐसी स्थिति में आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-4-2019 के विरूद्ध अभ्यावेदन राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध है । अत: पुनर्विलोकन करने की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है । प्रभावित पक्षकार कंडिका 18 के अनुरूप आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राज्य शासन के समक्ष नियमानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के विकल्प का उपयोग कर सकता है । पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

6/8/19

(इकबाल सिंह बैंस)

अध्यक्ष